FOR, U.G. PART-III (HONS.)
PAPER-VI

Emergence of Muslim League in Indian Politics -(PART-I)

अलीगढ़ आंदोलन ने जिस बौद्धिक जागरूकता का विस्तार किया इसी से आगे चलकर मुसलमानों को राजनीतिक रूप से संगठित होने का अवसर मिला। इस स्थिति को उत्पन्न करने में एक बहुत बड़ा सहयोगी तत्व था - हिन्दू उग्रवादी धार्मिक आंदोलन का जिसके फलस्वरूप 'मुस्लिम सामुदायिक भावनाएँ' मुस्लिम साम्प्रदायिक भावनाओं में परिवर्तित हो गई। वस्तुतः अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति ने लीग के गठन में अहम् भूमिका निभाई। आरम्भ से ही लीग ने काँग्रेस विरोध एवं सरकार परस्त नीति का अवलम्बन किया और 'द्विराष्ट्र सिद्धांत' को अपनाकर साम्प्रदायिकता को बढ़ाती गई। इसका परिणाम अंततः भारत-विभाजन के रूप में सामने आया।

1906 के अंत में अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्चीबोल्ड की प्रेरणा से मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खाँ के नेतृत्व में वायसराय लार्ड मिंटो से मिला और उसने मुसलमानों के लिए कुछ विशेष रियायतों तथा साम्प्रदायिक चुनावों की माँग की। शिमला प्रतिनिधिमंडल के समय ही मुस्लिम नेताओं ने एक केन्द्रीय मुस्लिम सभा बनाने की सोची जिसका उद्देश्य केवल मुस्लिम हितों की रक्षा करना हो। कहा जाता है कि इसके पीछे मिंटो की प्रेरणा भी काम कर रही थी। फलस्वरूप 30 Dec. 1906 को भूतपूर्व नौकरशाह आगा खाँ, सैय्यद अहमद खाँ के राजनीतिक वारिस मोहसिन-उल-मुल्क तथा कुछ बड़े जमींदार जैसे अभिजात्य वर्गीय लोगों के नेतृत्व में ढाका में 'ऑल इंडिया मुस्लिम लीग' की स्थापना की गई।

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का निर्माण जमींदारों, सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारियों तथा उच्चवर्गीय मुसलमानों के एक समूह ने किया। स्थापना के समय लीग के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :-

(i) भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की भावना पैदा करना

(ii) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना तथा उनकी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को संयमित भाषा में सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना

(iii) उपरोक्त उद्देश्यों को किसी प्रकार की हानि पहुँचाये बिना तथा

जहाँ तक सम्भव हो सके मुस्लिम समुदाय तथा भारत के अन्य समुदायों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना।

लीग ने आरम्भ से ही कांग्रेस का विरोध करने और अंग्रेजों का समर्थन करने की नीति को अपनाया। इसने बंगाल विभाजन (1905) का समर्थन किया तथा स्वदेशी तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की कांग्रेस नीति का विरोध किया। लीग ने 1909 के मार्ले-मिंटो सुधारों के प्रति भी अपना संतोष प्रकट किया जबकि कांग्रेस ने उसे असंतोषजनक बतलाया। इसने मुसलमानों के पृथक हित, पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा सरकारी नौकरियों में पृथक संरक्षण की माँग उठाई।

औपनिवेशिक सरकार तथा मुस्लिम पृथक्कतावादी विशिष्ट वर्ग ने मिलकर 1909 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में एक शक्तिशाली साम्प्रदायिक तंत्र की रचना की। मिंटो-मार्ले सुधारों ने भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रतिनिधि व्यवस्था का प्रावधान किया। इसने कुछ पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की रचना की जिसमें केवल मुस्लिम उम्मीदवार ही लड़ेंगे और केवल मुसलमान ही वोट देंगे। इस तरह भारत के संवैधानिक तंत्र में ब्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिक सिद्धांत का समावेश किया। बाद में इस सिद्धांत को अन्य समुदायों पर भी लागू किया गया जैसे सिक्ख, दलित वर्ग तथा अल्पसंख्यक समूह। चुनाव के समय साम्प्रदायिकता के नाम पर वोट माँगे जाने लगे तथा सामाजिक-आर्थिक प्रगति को साम्प्रदायिकता के साथ जोड़कर देखा जाने लगा।

इसी बीच मुस्लिम साम्प्रदायिकता को देखते हुये हिन्दू साम्प्रदायिकता भी पनपनी शुरू हुई। 1870 के बाद हिन्दू जमींदारों सूदखोरों तथा मध्य वर्गीय व्यवसायी के [illegible] समूह ने मुस्लिम विरोधी भावनाओं को उकसाना आरम्भ कर दिया। वे मध्य युग के तानाशाही मुस्लिम शासन तथा दमन से हिन्दुओं को बचाने के लिए ब्रिटिश शासन की प्रशंसा करने लगे। 1890 के दशक में गौ-हत्या विरोधी प्रदर्शन भी हुये जो साम्प्रदायिक दंगों में बदल गये। 1907 में पंजाब में हिन्दू-महासभा का गठन हुआ। इसने भारत को एक राष्ट्र के सूत्र में बाँधने की तथा मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए हिन्दू हितों के बलिदान के कांग्रेसी प्रयत्नों की आलोचना की। 20वीं सदी के उग्रवादी नेता

मध्ययुगीन संस्कृति की अवज्ञा करके पुरानी हिन्दू संस्कृति पर अत्यधिक बल देने लगे। तिलक ने गणेश पूजा जैसे त्यौहारों को राष्ट्रवाद के लिए प्रचार किया। कई बंगाली, हिन्दी तथा उर्दू लेखकों ने अपने उपन्यासों, कहानियों तथा नाटकों में मुसलमानों को विदेशी करार दिया। इन सबों की तीखी प्रतिक्रिया मुस्लिम समुदाय में हुई और वे उभरते राष्ट्रवादी आंदोलन से विमुख होते चले गये परन्तु समग्र रूप से राष्ट्रीय आंदोलन धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्रवादी रहा।

प्रथम विश्वयुद्ध से पहले नये मुस्लिम मध्यमवर्ग में भी राजनीतिक परिपक्वता आ गई थी। शिक्षित तथा मुखर नये मध्य वर्ग ने साम्राज्यवादी अवस्था पर अपनी निर्भरता त्यागदी तथा इसके अपनी असंतुष्टि प्रकट करने लगे। डॉ अन्सारी, अबुल कलाम आजाद, मौलाना मु. अली, हकीम अजमल खां जैसे प्रखर मुस्लिम नेता जो सैय्यद अहमद खां के विचारों एवं उद्देश्यों तथा अलीगढ़ आंदोलन की प्रशंसा करते हुये भी इस बात में विश्वास रखते थे कि मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार का पिट्ठू नहीं बनना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लें और इसके लिए उन्हें कांग्रेस के साथ समझौता करना चाहिए।

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेजों के द्वारा तुर्की से दुर्व्यवहार करने के कारण मुस्लिम लीग का अंग्रेजों के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया एवं कांग्रेस के प्रति विरोध में कमी आया फलस्वरूप 1916 में लीग एवं कांग्रेस के बीच "लखनऊ पैक्ट" हुआ। इस पैक्ट में पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा विधानमंडल में अल्पसंख्यक के महत्व के अनुसार सीटों के आरक्षण को स्वीकार किया गया। हालांकि यह समझौता मजबूरी में किया गया फिर भी यह एक प्रतिगामी कदम था क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार करके कांग्रेस ने वास्तव में साम्प्रदायिकता की राजनीति को स्वीकार कर लिया।

प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् गाँधीजी ने खिलाफत के प्रश्न को लेकर मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के नियत से खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों को सहयोग दिया। इसी समय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन भी प्रारम्भ किया। सम्भवतः यह प्रथम एवं अंतिम समय था जब हिन्दू-मुसलमानों ने एक दूसरे के

साथ सहयोग किया।

1921 में मालाबार में हुए मोपला-विद्रोह ने हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता में चिंगारी प्रदान की और उसके पूरे भारत में साम्प्रदायिकता की आग फैल गई। दिल्ली, नागपुर लखनऊ, इलाहाबाद आदि स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुये।

लीग को और अधिक साम्प्रदायिक बनाने में हिन्दू साम्प्रदायिकता के बढ़ते प्रभाव का स्पष्ट असर था। हिन्दू साम्प्रदायिकता को लोकप्रियता देने और इसे आर्थिक तथा सामाजिक रूप से निम्न वर्ग तक पहुंचाने में हिन्दू महासभा (1915) एवं राष्ट्रीय स्वंम सेवक संघ (1925) की भूमिका प्रमुख है।

1927 के साइमन कमीशन विरोध में लीग ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया जबकि 1928 के नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। इसके बदले में जिन्ना के द्वारा लीग ने अपनी 14 सूत्रीय योजना को प्रस्तुत किया। इससे हिन्दू-मुस्लिम एकता में दरार आ गई।

जिन्ना की 14 सूत्रीय योजना की निम्नलिखित मूल विशेषताएँ थीं:

(i) भारत के लिए बनने वाला कोई भी संविधान संघीय होना चाहिए जिसमें अवशेष शक्तियां प्रांतों के पास हो।
(ii) केन्द्रीय विधानमंडल में 1/3 सीटें मुसलमानों के लिए सुरक्षित होनी चाहिए
(iii) प्रत्येक प्रांत में एक ज़ैसी स्वायत्तता का अधिकार होना चाहिए
(iv) सभी विधानसभाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए
(v) सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर होना चाहिए। यदि कोई समुदाय चाहे तो वह अपने पृथक निर्वाचन क्षेत्र को संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में बदल सकता है
(vi) किसी भी तरह का क्षेत्रीय परिवर्तन पंजाब, बंगाल तथा 30 प्र० सीमाप्रांत में मुस्लिम बहुमत को प्रतिकूल प्रभावित नहीं करेगा
(vii) प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो
(viii) यदि किसी समुदाय विशेष के 3/4 सदस्य किसी बिल का इस आधार पर विरोध करें कि वह उनके समुदाय के लिए हानिकारक है तो विधानमंडल उसे पारित नहीं करेगा।

[क्रमशः जारी]